[illegible] उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

[illegible] सरेडी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
[illegible] सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सरेडी तहसील करेड़ा
[illegible] (राज0)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज0) ——— वादीगण

बनाम

01 [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सरेडी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02 [illegible] सिंह पुत्र स्व0 श्री नन्द सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सरेडी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03 [illegible] सिंह पुत्र स्व0 श्री नन्द सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सरेडी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04 [illegible] कंवर पुत्री स्व0 श्री नन्द सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– सरेडी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05 उपपंजीयक महोदय पंजीयन कार्यालय करेडा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
06 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब करेडा जिला भीलवाडा (राज0)
07 ग्राम सेवा सहकारी समिति भभाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) जरिये व्यवस्थापक
08 बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) जरिये शाखा प्रबंधक
——— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92 क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 एवं आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता

उपस्थित :–

श्री श्याम लाल वैद ———अधिवक्ता वादी

श्री विनोद तिवारी ———अधिवक्ता प्र.सं. 1

एकपक्षीय – ———प्रतिवादी संख्या 2 से 4, 7,8

पैरोकार सरकार ———प्रतिवादी 5 से 6

दिनांक 22.12.2025

:: आदेश ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र बाबत घोषणा कराने खातेदारी अधिकार , विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,92 क,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सरेडी पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 196 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 197 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 200 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 201 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 202 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 203 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 208 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 209 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 210 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 211 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 212 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 213 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 232 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 233 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 423 रकबा 14 बिस्वा, 424 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 425 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 426 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 427 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 428 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 431 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 432 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 433 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 23 रकबा 36 बीघा 01 बिस्वा भूमि एवं सरहद सरेडी खेड़ा पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा [illegible] आराजी नम्बर 19 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 23 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 24 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा एवं सरहद सरेडीखेड़ा पटवार हल्का भभाणा भू

उपखण्ड अधिकारी पद[illegible]
सहायक कलक्टर करे[illegible]

[illegible] सख्या 01 लगायत 04 चार के परिवार

[illegible] निरीक्षक हीन करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 26 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा का [illegible] होना बताकर खातेदारी हक अधिकार की घोषणा हेतु पेश किया गया।
उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण के बाद तामिल प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा [illegible] पेश किया गया व दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

दौराने विचारण प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा –151 एवं आदेश 07 नियम 11 [illegible] का इस आशय का पेश किया गया कि वादी की ओर से घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का [illegible] दिनांक 29/11/2016 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जो लंबित है। इस वादपत्र का [illegible] भी प्रतिवादी देवीसिंह ने प्रस्तुत कर दिया है। अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश [illegible] इस वाद का मुख्य रुप से अनुतोष भी जवाबदार प्रतिवादी देवीसिंह के विरूद्ध चाहा गया है। वादी के [illegible] वाद का मुख्य आधार वादपत्र के पैरा संख्या 05 मे वादग्रस्त आराजियात का पुश्तैनी होना दर्शाते हुये [illegible] के पैरा संख्या 01 में वशाकम दर्शाकर वादपत्र के पैरा संख्या 02 मे वर्णित आराजियात मे वादी एवं प्रतिवादी [illegible] 02 से 05 का 1/2 आधा हिस्सा दर्शाते हुये प्रतिवादी देवीसिंह के साथ 1/2 आधा हिस्से के खातेदार [illegible] घोषित करने की डिक्री चाही गई है। राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 मे 15 अक्टूबर 1955 मे सम्पूर्ण [illegible] राज्य मे लागू हुआ था। उससे पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2010 से 2013 के खाता जमाबंदी के कॉलम नम्बर 04 मे स्वर्गीय नाथूसिंह वल्द सार्दूलसिंह राजपूत का नाम जागिरदार के रुप में दर्ज होकर कॉलम नम्बर 04 मे (हवाला) खुदकाश्त के रुप में उक्त जमाबंदी में वर्णित तमाम आराजियात दर्ज थी, जो जागिरदार के रुप मे मेवाड रियासत के राजस्व वसूली के कार्य के बदले जीविकोपार्जन के लिये दी गई थी। इस प्रकार मेवाड राज्य का भारत संघ मे विलय हो जाने की घोषणा तत्कालीन महाराणा मेवाड द्वारा कर दी जाने के पश्चात् तमाम रियासतो का पुनर्गठन होकर राजस्थान राज्य के गठन हो जाने के पश्चात् राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज्यूम्पशन ऑफ जागिर एक्ट 1952 राजस्थान राज्य में 18 फरवरी 2021 को लागू होकर राजस्थान राज्य में जागिर प्रथा समाप्त हो गई। उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार राजस्थान राज्य में जागिर रिज्यूम हो जाने के बाद किसी भी जागिर भूमि खुदकाश्त की जागिरदार की भूमि को खातेदारी हक की होना घोषित कर दिया जाने से राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व ही स्वर्गीय नाथूसिंह वल्द सार्दूलसिंह राजपूत जागिरदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार होना मान लिया गया। उपरोक्त कारणों से वादग्रस्त संपदा पुश्तैनी नहीं होकर भूतपूर्व जागिरदार की खातेदारी अधिकार की होना कानूनन मान लिया गया। इस प्रकार खुदकाश्त भूमि को भी राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 05 की उपधारा (23) के अनुसार राज्य के किसी भी भाग में किसी संपदाधारी द्वारा वैयक्तिक रुप से जानी जाने वाली भूमि अभिप्रेत है। इसलिये वादग्रस्त सपदा पुश्तैनी ने होकर स्वर्गीय नाथूसिंह वल्द सार्दूलसिह राजपूत की व्यक्तिगत या निजी संपदा होने से जवावदार प्रतिवादी की विरासतीय अधिकार की भूमि है राजस्थान लेण्ड रिफोर्स एण्ड रिज्यूम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 की धारा 10 के अनुसार स्वर्गीय नाथूसिंह वल्द सार्दूलसिह राजपूत की खातेदारी हक की आराजियात है। इस विधि प्रदत्त अधिकार को धारा 46 के अनुसार 01- Save as otherwise provided in this Act] no civil court or revenue court shall have jurisdiction in respect of any matter which is required to be settled] decided or dealt with by any officer or authority under this Act- 02- No order made by any such officer or authority shall be called in question in any court- इस प्रकार उपरोक्त वर्णित प्रावधानानुसार जागिरी प्रथा समाप्ति के पश्चात् प्रचलित विधि द्वारा खुदकाश्त भूमि के स्थान पर खातेदार काश्तकार होना मान लिया जाने से अब इस इन्द्राज को न तो सिविल न्यायालय और न राजस्व न्यायालय को दखल करने के क्षेत्राधिकार से विधि द्वारा वर्जित कर दिया जाने से इसी प्रक्रम पर यह दावा वादी कत्तई चलने योग्य नहीं है और न पोषणीय है, इसलिय वादग्रस्त संपदा को पुश्तैनी होना किसी भी कदर नहीं माना जा सकता है, इस हेतु किसी साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं है। जिससे वादपत्र खारीज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये–

- आरएलडब्ल्यू (1) पे 81 से 87 धन्ना लाल व अन्य बनाम प्रहलाद कुमार व अन्य (भारद्वाज एम) एलडब्ल्यू 2013(1) आरजे

केदामरमल शर्मा बनाम जदगीश आरवीजे (28)2021 पेज 367 से 372

अनन्त पाल सिंह राजपूत बनाम सुमेर सिंह राजपूत व अन्य 2017(1) डीएनजे (राज0) पेज नम्बर 1 से 7

सीताराम बनाम रामावतार आरआरटी 2019(1) पेज नम्बर 01 से 07

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर

1. यह ह कि वादागण एव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 चार के परि[illegible]

उक्त प्रार्थनापत्र का वादीगण द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया व साथ ही बहस सुनी गयी . अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र खारीज करने का निवेदन किया व साथ ही वादीगण अधिवक्ता द्वारा इन्ही आधारो पर आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा– 151 जा0दी0 का प्रार्थनापत्र खारीज करने का निवेदन किया।

पक्षकारान की बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 मे 15 अक्टूम्बर 1955 मे सम्पूर्ण राजस्थान राज्य मे लागू हुआ था, उससे पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2010 से 2013 के खाता मे नाथू सिंह वल्द सार्दूल सिंह राजपूत का नाम जागिरदार के रूप मे दर्ज था व उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार राजस्थान राज्य मे जागीर रिज्यूम हो जाने के बाद किसी भी जागिर भूमि खुद काश्त की जागिरदार की भूमि को खातेदारी हक की होना घोषित कर दिया जाने से वादग्रस्त सम्पदा पुश्तैनी न होकर स्व0 नाथू सिंह जी की स्वअर्जित है। इस कारण वादीगण का कोई हक अधिकार नही होता है। जिससे वादीगण का वादपत्र आदेश 07 नियम 11, जा0दी0 के तहत विधि मे वर्जित होने से खारीज किया जाना पाता हूँ।

:: आदेश ::

अत प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–151 एवं आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रकिया सहिता स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा सरेडी पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 196 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 197 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 200 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 201 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 202 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 203 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 208 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 209 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 210 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 211 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 212 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 213 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 232 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 233 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 423 रकबा 14 बिस्वा, 424 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 425 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 426 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 427 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 428 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 431 रकबा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 432 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 433 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 23 रकबा 36 बीघा 01 बिस्वा भूमि एवं सरहद सरेडी खेड़ा पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला, भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 19 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 23 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 24 रंकबा 02 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा एवं सरहद सरेडीखेड़ा पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 26 रकबा 35 बीघा 02 बिस्वा के संबध मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सारहीन व तथ्य छुपाकर पेश करने से वादी का वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

है कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 चार के परिवार